SHODHPATRA: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND HUMANITIES
E-ISSN: 3048-6041 | Volume-1, Issue-10 | October 2024

मानवाधिकार और भारतीय संविधान : समसामयिक मुद्दे

उन्नति सहाय
शोध छात्रा
महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

सारांश

आज के परिवर्तनकारी समय में क्या मनुष्य केन्द्रबिन्दु है? वर्तमान काल में शासन, उद्योग, विकास इत्यादि की बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा ने मनुष्य को पीछे छोड़ दिया है, यह स्थिति आज से ही नहीं, अपितु प्राचीनकाल से ही चली आ रही है। प्रत्येक मनुष्य को जीवन जीने की स्वतंत्रता तथा समाज में सम्मानजनक स्थिति पाने का अधिकार होता है, यह जीवन की प्रथम आवश्यक इकाई है, प्रत्येक व्यक्ति के कुछ आधारभूत व प्राकृतिक अधिकार होते है जो उसके जीवन के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए आवश्यक होते है। अतः मानव जाति के इन्ही मूलभूत अधिकारों की व्याख्या करते हुए, 10 दिसम्बर,1948 'मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा'' चार्टर पर विविध देशों द्वारा हस्ताक्षर कर यह स्वीकृति व्यक्त की गयी कि मानवाधिकारों की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। यद्यपि भारतीय संविधान में वर्णित भाग–3 भी इन्ही बातों पर आज सहमति व्यक्त करता है। परन्तु आज इन्हीं मानवाधिकारों को वैश्विक स्तर पर अनेक चुनौतियों एवं संकटों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे गैर विधिक प्रवासी और शरणार्थी, मानव व्यापार, लिंग आधारित विभेद, प्रजातीयता, जलवायु परिवर्तन एवं मानवाधिकार, आतंकवाद कामगार वर्गो का अधिकार, बाल शोषण इत्यादि। अतः प्रस्तुत लेख मानवाधिकारों के संकटो के संदर्भ में विमर्शात्मक विवरण प्रस्तुत करता है।

मूल शब्दावली– मानवाधिकार, भारतीय संविधान, भेदभाव, नैतिकता, जेंडर, प्राकृतिक अधिकार, शरणार्थी, सुशासन, सामाजिक न्याय एवं अधिकार।

परिचय

द्वितीय विश्वयुद्ध (1939–45) की समाप्ति के बाद, 1948 में देशों के समूह ने समूची मानव–जाति के मूलभूत अधिकारों की व्याख्या करते हुए एक चार्टर पर हस्ताक्षर (10 दिसम्बर, 1948 'मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा') किये थे। इसमें माना गया था कि व्यक्ति के मानवाधिकारों की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिये। इस संगठन (संयुक्त राष्ट्र संगठन) ने अपने सदस्य राष्ट्रों से आग्रह किया कि चाहे उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी भी क्यों न हो, वे अपने–अपने देश में विशेषतः स्कूलों और अन्य शैक्षिणिक संस्थाओं में इस घोषणा का प्रदर्शन और प्रचार करे। वस्तुत यह घोषणा एक स्वतंत्र, लोकतंत्रीय और कल्याणकारी राज्य के लिए उपयुक्त है और मानव अधिकारों की विस्तृत योजना प्रस्तुत करती है।

यद्यपि इस घोषणा पत्र में एक विस्तृत प्रस्तावना के अलावा 30 अनुच्छेद है। प्रस्तावना में कहा गया है कि 'सब मनुष्यों की स्वाभाविक गरिमा एवं समानता और उनके अपरक्राम्य अधिकारों (Inalienable Rights) को मान्यता देकर ही विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की स्थापना की जा सकती है।' अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 20 तक व्यक्ति के नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। तथा अनुच्छेद 21 से 30 तक व्यक्ति के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। इन 'मानव अधिकारों की विश्व जनीन घोषणा' के अलावा अनेक अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के अन्तर्गत विश्व के राष्ट्रों ने मानव अधिकारों के सम्मान का संकल्प व्यक्त किया है। इनमें 'मानव अधिकार संबंधी यूरोपीय अभिसमय' 1950, 'नागरिक और राजनीतिक अधिकार संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा' 1966, मानव अधिकार संबंधी अमरीकी अभिसमय, 1969 'हेल्सिंकी समझौते' 1975 और 'जनवादी एवं मानव अधिकार संबंधी अफ्रीकी अधिकारपत्र' 1981 विशेष रूप से उल्लेखनीय है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में 03 अप्रैल, 2006 में एक और दृढ़ प्रयास किया। जब इसने मानव अधिकार कमीशन के स्थान पर एक अधिक व्यापक 'मानव अधिकार परिषद्' की स्थापना की। इसके अलावा, अनेक देशों के नागरिकों ने जनसाधारण के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए गैर सरकारी संगठन (NGOs) भी बना रखे हैं। उदाहरण के लिए, भारत में Peoples Union for Civil Liberties, और Peoples Union for Democratic Rights इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।

एक गैर–राजनीतिक मानवतावादी संगठन 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' जुलाई 1961, जिसका मुख्यालय लंदन में है– विश्वभर में राजनीतिक, धार्मिक और प्रजातीय उत्पीड़न के शिकार लोगों पर होने वाले अन्याय का पता लगाता है और संयुक्त राष्ट्र संगठन तथा यूरोपीय परिषद के पास अपने प्रतिवेदन नियमित रूप से भेजता है। अतः इसका मूल कार्य विश्वभर में मानवाधिकारों की रक्षा करना है।

भारतीय संविधान और मानवाधिकार–

मानवाधिकार एक ऐसा अधिकार है, जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव प्राणी होने के नाते प्राप्त है भले ही उसकी राष्ट्रीयता, लिंग, व्यवसाय, वर्ग और सामाजिक–आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में मानवाधिकार को परिभाषित किया गया है जो अधिनियम की धारा–2 में वर्णित है। इसके अनुसार, 'मानवाधिकार का अर्थ व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता व गरिमा से संबंधित उन अधिकारों से है, जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत है या अन्तर्राष्ट्रीय करारों में वर्णित है और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है।' इन अधिकारों के बिना व्यक्ति की स्थिति पशु की भांति हो जायेगी। इनके माध्यम से ही व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और आत्मिक आवश्यकताएँ पूरी कर पाता है और व्यक्तित्व का विकास करने में समर्थ हो पाता है। मानव होने की धारणा के साथ ही कुछ अधिकार व स्वतंत्रताएँ उससे जुड़ी हुई है। जिनसे वंचित होने पर मानव अपनी मानवता से ही वंचित हो जाता है, इसलिए मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को 'मानव जाति का महाधिकार पत्र' Magna Carta ठीक ही कहा गया है।

मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा से दुनिया के सभी देश प्रभावित हुए। 1948 में हुई इस घोषणा के बाद आजाद होने वाले देशों के संविधान इससे प्रेरित थे। भारत ने भी इस घोषणा पत्र पर सहमति व्यक्त करते हुए, 10 दिसंबर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र के इस चार्टर पर हस्ताक्षर किया, अर्थात् भारत इस अभिसमय का संस्थापक हस्ताक्षरकर्त्ता देश है। हालांकि देश में मानवाधिकारों से जुड़ी एक स्वतंत्र संस्था बनाने में 45 वर्ष लग गए और तब कहीं जाकर 12 अक्टूबर, 1993 में NHRC अर्थात् 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग'[1] अस्तित्व में आया, जो समय–समय पर मानवाधिकारों के हनन के संदर्भ में केन्द्र तथा राज्यों को अपनी अनुशंसाएँ भेजता है।

जब मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा हुई, उन दिनों भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया जारी थी, हालाकि इससे पूर्व नेहरू रिपोर्ट, 1928 के नाम जो संविधान का जो ड्राफ्ट श्री मोती लाल नेहरू के नेतृत्व में तैयार किया गया था, उसमें भी इस प्रकार के अधिकारों की मान्यता थी। संविधान निर्माताओं ने घोषणा के बहुत से प्रावधानों को संविधान में जगह दी, मूल अधिकार भाग–III, नीति निर्देशक तत्व, (भारतीय संविधान) भाग–IV, मूल कर्तव्य–IV(A) और सिविल अधिकारों में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा ने अनेक तत्व शामिल किये गये। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 में वर्णित है कि राज्य संगठित लोगों के एक–दूसरे से व्यवहारों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास करेगा। इसलिए भारतीय संविधान द्वारा हमारे देश को मानवाधिकार संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय करारों व घोषणाओं को मानने का निर्देश दिया गया है।

यद्यपि उदार लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित संविधान व शासन व्यवस्था को अपनाने के कारण भारत में मानवाधिकारों के प्रति सकारात्मक रवैया रहा है, परंतु घोर असमानतापूर्ण समाज (धर्म, जाति और महिला विरोधी) व नवोदित लोकतंत्र होने के कारण प्रायः मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाये भी सामने आती रही हैं। ऐसे अवसरों पर भारतीय जनता ने सफलतापूर्वक ऐसे संकटों का मुकाबला किया है और आगे की राह प्रशस्त की है। भारत का प्रथम मानवाधिकार समूह 'Civil Liberties Union' जवाहर लाल नेहरू द्वारा 1930 में बना था, जो स्वतंत्रता सेनानियों की विधिक सहायता हेतू बनाया गया था। 1960 के बाद पं0 बंगाल में (APDR) Association for the Protection of Democratic Rights, आन्ध्र प्रदेश में (APCLC) Andhra Pradesh Civil Liberties Committee,पंजाब में (AFDR) Association for Democratic Rights' आदि सक्रिय है।

मानवाधिकार से सम्बन्धित सामायिक मुद्दे–

मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के पश्चात् मानव जाति के अधिकार अभी भी वैश्विक स्तर पर संकट ग्रस्त है। अतः हाल के वर्षों में घटी घटनाओं से यह ज्ञात होता है कि अभी भी वैश्विक स्तर पर ऐसी विविध समस्याएँ व जटिलताएँ उपस्थित है। जो मानवाधिकार व मानवता को क्षतिग्रस्त कर रही है।

[1]मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के आधार पर रा0 मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर, 1993 को की गई थी।

यद्यपि भारतीय संदर्भ में देखे तो देश का विशाल आकार और विविधता, विकासशील तथा सम्प्रभुता सम्पन्न पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में इसकी प्रतिष्ठा तथा एक भूतपूर्व औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में इसके इतिहास के परिणामस्वरूप भारत में मानवाधिकारों की परिस्थिति एक प्रकार से जटिल हो गई है। भारतीय परिवेश में वह मुख्य मुद्दे जो मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं, वे हैं मानव व्यापार, शरणार्थी समस्या, कामगारों का अधिकार, लैंगिक विभेद, मानवाधिकार एवं तकनीकी, राष्ट्रवाद, जलवायु परिवर्तन, असमता एवं सामाजिक अधिकार जातिवाद एवं असहिष्णुता आदि ज्वलंत मुद्दे भारतीय परिवेश में ना केवल विद्यमान है बल्कि NHRC पर एक प्रश्नचिह्न भी खड़ा कर रहे हैं।

यद्यपि **मानव व्यापार** के मामलों में, भारत दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है और इस मानव तस्करी का स्त्रोत पारगमन और गंतव्य माना जाता है, किसी एक राज्य की सीमाओं के भीतर तथा अंतरराज्यीय मानव तस्करी के अलावा नेपाल और बांग्लादेश से अन्तर्राष्ट्रीय मानव व्यापार भी काफी लम्बी खुली सीमा होने के कारण भारत में होती है। पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्र भारत में मानव तस्करी का नया केंद्र बनकर उभरा है। दुनिया भर में मानव व्यापार के पीड़ितो में 1/3 बच्चे होते हैं। हैरानी की बात ये है कि ड्रग्स और हथियारों के बाद मानव तस्करी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध है। जो पिछले 10 सालों में 25 गुना बढ़ गया है और वर्ष 2020 में 60% तक बढ़ोत्तरी हुई हे। मानव तस्करी का जाल देश के हर राज्य में फैला हुआ है। इसमें कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, बिहार, तमिलनाडु, पं0 बंगाल और महाराष्ट्र में ज्यादा मामले सामने आते हैं।

वस्तुतः भारत में मानव तस्करी मुख्यतया भारतीय दंड संहिता, 1860 के अन्तर्गत एक अपराध है तथा यौन उत्पीड़न के लिए मानव तस्करी के संबंध में अनैतिक तस्करी (निवारण) एक्ट, 1986 इसी प्रकार बंधुआ मजदूरी रेगुलेशन एक्ट, 1986 और बाल श्रम रेगुलेशन एक्ट 1986 ये सभी कानून मानव तस्करी से संबंधित अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करते हैं परंतु इन विविध कानून व एक्ट के अलावा अभी भी भारत में मानव व्यापार एक संकट का विषय बना है जो कि मानवाधिकार का उल्लंघन करता है।

शरणार्थियों की समस्या–

युद्ध, प्राकृतिक आपदाएँ, पर्यावरण में परिवर्तन, मानवाधिकारों का हनन आदि कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जिन्होंने विश्व के कई देशों के निवासियों को अन्य देशों की शरण लेने पर मजबूर कर दिया सहै। लगभग 6 करोड़ लोग (इस आंकड़े में बच्चे शामिल हैं) हिंसा और अन्य परेशानियों की वजह से अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं, इसके अलावा 22.5 करोड़ लोग ऐसे है, ऐसे हैं, जो बेहतर जीवन की तलाश में दूसरे देशों में प्रवास करने को मजबूर हुए हैं।

ऐतिहासिक रूप से, भारत में कई पड़ोसी देशों के शरणार्थियों आए हैं। शरणार्थी राज्य के लिये एक समस्या बन जाते हैं क्योंकि इससे देश के संसाधनो पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है साथ ही लम्बी अवधि में जनसांख्यिकीय परिवर्तन में वृद्धि कर सकता है इसके अलावा सुरक्षा जोखिम भी उत्पन्न हो सकता है।हालांकि शरणार्थियों की देखभाल मानवाधिकार प्रतिमान का मुख्य घटक है। भारत में शरणार्थी

आबादी का बड़ा हिस्सा बांग्लादेश (चकमा शरणार्थी), श्रीलंका, (तमिल शरणार्थी) तिब्बल, म्यामांर, (रोहिंग्या शरणार्थी) और अफगानिस्तान से आए लोगों का है। हालांकि तिब्बती और श्रीलंकाई शरणार्थियों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है उन्हें सरकार द्वारा तैयार की गई विशिष्ट नीतियों एवं नियमों के माध्यम से सुरक्षा व सहायता प्रदान की जाती है।

भारत में शरणार्थियों को संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 20 (अपराधां की सजा के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत अधिकारों के हकदार है इसके अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019 से मुसलमानों को बाहर रखा गया है। यह केवल हिन्दू, ईसाई, जैन, पारसी, सिक्ख तथा बांग्लादेश , पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान से आए बौद्ध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है।

कामगारों का अधिकार

कामगर वर्ग (या श्रमिक वर्ग) एक ऐसा शब्द है, जिसका उपयोग सामाजिक विज्ञानों और साधारण बातचीत में वैसे लोगों के वर्णन के लिए होता है, जो निम्नस्तरीय कार्यों (दक्षता, शिक्षा और निम्न आय द्वारा मापदण्ड पर) में लगे होते हैं और अक्सर इस अर्थ का विस्तार बेरोजगारी या औसत से नीचे आय वाले लोगों तक भी होता है। कामगार वर्ग मुख्यतः औद्योगीकृत अर्थव्यवस्थाओं और गैर–औद्योगीकृत अर्थव्यवस्थाओं वाले शहरी क्षेत्रों में पाये जाते हैं। यह वर्ग शारीरिक श्रम पर आश्रित होते है, खात तौर पर जिन्हें घंटों के आधार पर मजदूरी दी जाती है। व्यावहारिक रूप में देखें तो पायेगें कि श्रमिक वर्ग से ज्यादा काम लिया जाता है व उन्हें कम मजदूरी दी जाती है। भारत में श्रमबल जनसंख्या लगभग 460 मिलियन है जिसमें लगभग 430 मिलियन कामगार असंगठित क्षेत्र की विषम परिस्थितियों से संबंधित है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 65% असंगठित क्षेत्र के कामगारों से प्राप्त होता है आज भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। असंगठित क्षेत्र का 48.5% महिला कामगारों का है, इन पर उत्पादन कार्य एवं प्रजनन का दोहरा बोझ है। ये दोनों ही किसी समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है परंतु संगठित क्षेत्र की महिला कामगार सर्वाधिक उत्पीड़न एवं विभेद की शिकार है।

संविधान में श्रम समवर्ती सूची का विषय है जिसके अनुसार संघ व राज्य सरकारें श्रम मामलों तथा इनके प्रशासन संबंधी विषयों पर कानून बना सकती है।

श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिये संविधान में अनेक प्रावधान किये गए हैं –

1. संविधान का भाग–III (मौलिक अधिकार) के अधीन अनुच्छेद 14, 21–23 और 24
2. संविधान के भाग–IV (राज्य के नीति निदेशक तत्व) के अधीन अनुच्छेद– 38, 39, 39क, 41, 42, 43, 43क, 47
3. 20 सूत्री कार्यक्रम (1975) में श्रमिक कल्याण से संबंधित बिन्दु
   - कृषि श्रमिक व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा

- न्यूनतम मजदूरी कानूनों को लागू होना
- बाल श्रम प्रतिषेध
- महिला श्रमिको का कल्याण

उपरोक्त वर्णित कानूनी प्रावधानो के बावजूद कामगार वर्गों की स्थिति अभी भी अत्यन्त दयनीय व जटिल है।

लैंगिक विभेद

समाज में लैंगिक विभेद आज से नहीं वरन प्राचीन काल से चला आ रहा है। यह विभेद मात्र भारत में ही नहीं वरन विश्व के तमाम देशों में चल रहा। सामान्यतः विभेद कई प्रकार के होते हैं जैसे– जातिगत विभेद, सांस्कृतिक विभेद, स्थानागत विभेद, आर्थिक विभेद आदि वस्तुतः सभी प्रकार के विभेद मानवता के लिए खतरा है। क्योंकि इन विभेदो व असमानताओं के कारण ही मानव में एकता स्थापित करने में समस्या आती है।

लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता समाज की वो कुरीति है जिसकी वजह से महिलाएँ उस सामाजिक दर्जे से हमेशा वंचित रही, जो दर्जा पुरूष वर्ग को प्राप्त है। स्त्री–पुरूष मानव समाज की आधारशिला है। किसी एक के अभाव में समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन इसके बावजूद लैंगिक भेदभाव एक सामाजिक यथार्थ है। लैंकिग भेदभाव से आशय, लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है वे घर और समाज दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती है, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह हर क्षेत्र में प्रचलित है।

विश्व आर्थिक मंच ने पंद्रहवी 'वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक 2021' की रिपोर्ट जारी की है इस भारत 156 देशों में 140वें स्थान पर रहा जबकि 2020 की रिपोर्ट में, भारत (153 देश की सूची में) 2020, 112वें स्थान पर था। इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में लैंगिक भेदभाव की जड़े कितनी मजबूत और गहरी है। इससे पहले वर्ष 2006 में जब पहली बार यह रिपोर्ट जारी की गई थी, तब इस सूचकांक में भारत 98वें स्थान पर था।) जाहिर है कि लैंगिक असमानता के मामले में पिछले डेढ़–दशक में भारत की स्थिति लगातार खराब होती गई है। राजनीतिक क्षेत्र में स्त्री–पुरूष समानता के मामले में भारत का स्थान 91वां है। इस संदर्भ में विश्व आर्थिक मंच का कहना है कि राजनीतिक क्षेत्र में लैंगिक समानता स्थापित करने में भारत को अभी भी एक सदी से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। वास्तव में, पुरूष और महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करके ही राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार

जलवायु परिवर्तन मानव अधिकारों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही तरह के खतरे पेश कर रहा है। सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार ही नहीं बल्कि जीवन का अधिकार भी दाव पर है। जलवायु परिवर्तन

की समस्या के मूल में एक अनोखी विडम्बना यह है कि जो देश इस समस्या के लिए सबसे कम उत्तरदायी रहे है, वे ही इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। ग्रीन हाउस गैसें विकसित देशों की आर्थिक गतिविधियों की वजह से पैदा हो रही है, लेकिन जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा गरीब देशों पर। विषम परिस्थिति का सामना करने की बेहतर क्षमता रखने वाले लोगों के मुकाबले वे लोग ज्यादा प्रभावित होगें जो पहले से समस्याग्रस्त और वंचित हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तो सभी देशों पर होगा, लेकिन यह सबको एक समान प्रभावित नहीं करेगा। हालांकि जलवायु परिवर्तन पर अनेक अन्तर्राष्ट्रीय समझौते व संधिया हुई हैं पर धरातल पर इनका प्रभाव विविध देशों पर भिन्न–भिन्न रहा है।

अन्य विविध मुद्दे

मानवाधिकार का हनन एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है परंतु उपरोक्त वर्णित मानवाधिकार हनन के मुद्दे जो कि भारतीय संदर्भ में लिखे गये हैं इनके अलावा भी अन्य ऐसे जटिल मुद्दे हैं जो भारतीय परिवेश में मानवता को प्रभावित कर रहे हैं। जिनमें मूलतः असमानता, अन्याय व सामाजिक अधिकार, अतिवाद–असहिष्णुता आदि है।

वर्तमान समय में भारतीय समाज में असमानता एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। असमानता चाहे सामाजिक हो या आर्थिक, शैक्षिक या औद्योगिक यह विकास की राह में बड़ी बाधा है। सामाजिक असमता के कारण ही समाज में अन्याय बढ़ रहा है व समाज से आपसी प्रेम, भाईचारा, मानवता, इंसानियत और नैतिकता खत्म होती जा रही है। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए समाज को जाति व धर्म के बंधन में बांधा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जातिवाद व असहिष्णु दृष्टिकोण का भी निर्माण किया जा रहा है जिसमें चरम, राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक आदर्शों को अपनाकर, यथास्थिति को अस्वीकार या कमजोर किया जाता रहा है। जो कि समकालीन विचारों व स्वतंत्रता की अभिव्यक्तियों को कमजोर करते हैं। हाल के वर्षों में, भारत ने चरमपंथ की नई लहरे देखी हैं जिन्होंने कई निर्दोष लोगों की जान ले ली है। चाहे धार्मिक, जातीय या राजनीतिक आधार पर, चरमपंथी विचारधाराएँ किसी विशेष समूह की सर्वोच्चता का महिमामंडन करती है और अधिक सहिष्णु और समावेशी समाज का विरोध करती है। जो कि मानवता व मानवाधिकार के लिए एक खतरा होता जा रहा है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा होने के पश्चात् व विभिन्न देशों द्वारा मानवाधिकार की रक्षा के लिए विविध कानूनों व गैर सरकारी संगठनों का गठन किया गया, जो कि मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्यरत है। इसी राह में भारत ने भी 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व अन्य राज्यों द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया जो कि मानव अधिकारों की रक्षा के लिए उत्तरदायी है, जो कि एक सराहनीय कदम है, परंतु व्यावहारिक रूप में देखा जाये तो इन सब उठाये

गये कदमों के बावजूद आज भी मानव का अस्तित्व व मानवता संकट में है उन्हें किसी न किसी तरह की प्रताड़ता का दंश झेलना पड़ता है।

आवश्यकता इस बात की है कि मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए धरातल स्थल पर सुधार किया जाये अर्थात् शासन में पारदर्शिता लाये जाये, शासन–व्यवस्था में नागरिकों के साथ अमानवीय व भेदभावपूर्ण व्यवहार ना किया जाये, शासन व्यवस्था का रूख सुशासन की तरफ होना चाहिए, जिससे मानव जाति का सर्वागीण विकास हो। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए यह भी जरूरी है कि अधिकारों के संरक्षण के लिए योजनाएं बनाई जाये व उनका जगह–जगह प्रचार–प्रसार किया जाये, तथा उन्हें अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया जाये अर्थात् छोटे–छोटे स्तरों से सुधार किया जाये तभी जाके मानव जाति का विकास होगा, एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी संवैधानिक दर्जा दिया जाये, जिससे वह अपने कार्यों के प्रति अधिक जबावदेह होगी।

अतः मानवाधिकारों के संरक्षण की दिशा में भारत में ही नहीं बल्कि आज वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं आवश्यकता इस बात की है कि हम समाज में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करें, जिसमें प्रत्येक मनुष्य का जीवन सुरक्षित हो तथा वह स्वतंत्रता व सम्मान के साथ गरिमापूर्व जीवन व्यतीत कर सके।

References:

1. Human Rights in India – G.S. Bajwa, P. 2
2. जाखड, दिलीप (2003), मानवाधिकार और पुलिस संगठन, मेसर्स युनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा0लि0, जयपुर, पी. 35
3. जैन, आर.के. एवं जैन, कला (2019), राजनीति विज्ञान, आरोही पब्लिकेशन्स, दिल्ली, पी. 99
4. गाबा, ओ.पी. (2020), राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा, नेशनल पेपर बैक्स, नई दिल्ली, पी. 341–343
5. त्रिपाठी, प्रदीप (2002), मानवाधिकार और भारतीय संविधान, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
6. इनसाइट : भारत में मानव तस्करी – https://www.drishiias.com/hindi/loksabha-rajyasabha-dicussions/ human-trafficking-in-india
7. The Hindu (2021), 'India does have a refugee problem' Varanasi April 10, 2021
8. Mishra, Vidisha (2016), जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार
9. भारत में मानवाधिकार drishtiias.com